

न्यायालय सहायक कलेक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(05)2022/

दिनांक : 31/5/2022

निमित्त,

तहसीलदार

राशमी

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

1 श्री मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति जाट उम्र 62 निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।



प्रार्थीगण

बनाम

- 1 श्री कंकु पत्नी लेहरू जाति माली उम्र बालिग निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 2 श्री तुलसीबाई पुत्री सरीकिशन जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 3 श्री तारु पिता उदा जाति माली उम्र बालिग निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 4 श्री भगवान पिता उदा जाति माली उम्र बालिग निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 5 भाली पत्नी डालु जाति माली उम्र बालिग निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 6 श्री रतनलाल पिता लेहरू जाति माली उम्र बालिग निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 7 श्री शंकर पिता डालु जाति माली उम्र बालिग निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 8 श्री हगामी पत्नी मांगीलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 9 श्री सुरेश पिता मांगीलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 10 श्री रामेश्वरलाल पिता मांगीलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 11 कुलदीप पिता रतनलाल जाति सांखला उम्र बालिग निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 12 जयदीप पिता रतनलाल जाति सांखला उम्र बालिग निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 95/2022

-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 1000/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता मौजा आरणी पटवार हल्का आरणी तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या 4185 की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों ओर दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावें। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका पेश करे ।



सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),
(उपराशमी अधिकारी),
राशमी